हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

उद्योग विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित है।

245वाँ प्रतिवेदन

(दिनांक: 12 अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-6)

समिति का गठन

सभापति:

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्य:

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी।

<u>प्रस्तावना</u>

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **245वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

समिति (वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 20 जून, 2020 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक **03.08.2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

आशा कुमारी

दिनांक: 03.08.2022
शिमला-171004.

(आशा कुमारी)
सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

उद्योग विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 7-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

पैरा संख्या: 1.2.1 भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट में बाहर सीधे अंतरित की गई निधियां

पैरा संख्या: 1.3.1.2 कर -भिन्न राजस्व

पैरा संख्या: 1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

पैरा संख्या: 1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

पैरा संख्या: 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संघटक

पैरा संख्या: 2.2.2 पूंजीगत एवं राजस्व

पैरा संख्या: 2.3.1.2 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/व्यय आधिक्य

पैरा संख्या: 2.3.4.2 अत्यधिक अभ्यर्पण

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित पैरों पर समिति अपना अभिमत सम्बन्धित प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में देगी।

पैरा संख्या:3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने जानना चाहा कि वर्ष 2014 से 2018 तक के बकाया प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों तथा उसमें सम्मिलित राशि के समायोजन हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए? अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि जब पहले जवाब दिया गया था तो 94 यू0सीज0 पैंडिंग थे pertaining to the amount of Rs. 36.8 crores. Now 75 UCs have been sent and 19 UCs are pending for Rs. 4.47 crores which will be sent shortly. इस पर समिति ने कहा कि यू0सीज0 में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। This is only a monitoring lapse के सम्बन्ध में विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पर यू0सीज0 आने की बात है विभाग उसको जल्दी भेज देगा के संदर्भ में समिति ने कहा कि Once everything is online then they have to put it. फिर जो भी निर्धारित तारीख होगी चाहे वह तीन महीने, छ: महीने या साल की हो, उस दिन उनको डाटा डालना ही है कि यह काम हुआ है या नहीं हुआ है ; otherwise link it with the performance of the officers who are

responsible for sending the UCs only then something will happen. This is a disease like cancer which is affecting the entire Government Departments यह बात सब में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी विभाग का ही मामला है।

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि वित्तीय वर्ष 2014-18 तक के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा उसमें सम्मिलित राशि के समायोजन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

पैरा संख्या: 3.7 निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने जानना चाहा कि विभाग द्वारा वर्तमान में कितने कार्य हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को सौंपे गए हैं तथा उन पर एजेंसी शुल्क का भुगतान किस दर से किया जा रहा है ? हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 2015 से 2018 तक करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों पर एजेंसी शुल्क मु0 2.13 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान को वापिस करने की अद्यतन स्थिति से भी समिति को अवगत करवाया जाए के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि एस0आई0डी0सी0 डिपार्टमैंटल चार्ज लेता है। They sometime keep on negotiating क्योंकि आजकल एग्जिक्यूटिंग एजेंसीज़ में कम्पीटिशन बहुत हो गया है। They keep on adjusting the charges. They keep on varying the charges depending upon the competition in the market. यह बेसिकली इफैक्टिव डिपार्टमैंटल चार्जिज पेड का मामला है। बाद में जब एस0आई0डी0सी0 के BODs में मामला प्रस्तुत किया तो उसने भी इसे 9 परसैंट कर दिया। पहले कई जगह क्लाइंट के आधार पर इसे 12 या 13 परसैंट भी लेते थे। विभाग एस0आई0डी0सी0 से इस मामले को बार-बार उठा रहा है कि जो एक्सैस में एजेंसी शुल्क गया है उसको वापिस करें। परन्तु एस0आई0डी0सी0 का इसके बारे में कहना है कि यह पैसा बैलेंसशीट में आकर इन्कम के रूप में समय-समय पर एडजस्ट कर दिया है। सी0ए0जी0 द्वारा ऑडिट फाइनल हो गया है और उन्होंने खर्चा भी दिखा दिया है इसलिए इसको वापिस न मांगा जाए। इसी कारण से यह मामला कॉरेस्पोंडेंस में फंसा हुआ है। बेसिकली यह डिपार्टमैंटल चार्ज का मामला है, किसी तरह के दुरूपयोग का मामला नहीं है इस पर समिति ने कहा कि ठीक है विभाग इसका सही उत्तर दे तदोपरान्त इस पर विचार किया जाएगा के संदर्भ में विभागीय सचिव ने अवगत करवाया कि अकाउंट्स के स्टैच्युटरी ऑडिट होते हैं तथा पिछले दो-तीन साल के स्टैच्युटरी ऑडिट हो चुके हैं और जब स्टैच्युटरी ऑडिट हो जाता है तो एजेंसी चार्जिज बाद में प्रॉफिट में कंवर्ट होते हैं। उसी को सरकार को डिविडैंट के रूप में दे देते हैं। इस प्रकार यह पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते-जाते रोटेट हो चुका है। अब मुश्किल है कि यह पैसा एच0पी0एस0आई0डी0सी0 से वापिस गवर्नमैंट को दे पाएंगे। माननीय समिति से यही निवेदन है कि अब यह चार्ज फ्लैट 9 परसैंट फिक्स कर दिया है तो इस मामले को वन टाइम सैटल किया जाए। इस पर समिति ने कहा कि विभाग का जो वन टाईम सैटलमैंट हुआ है उससे समिति को अवगत करवा दें और उसके बाद उस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि यह मामला विदइन गवर्नमैंट है इसलिए समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी। The reply should come in a rational manner. विभाग इतना ही भेज दें, तदोपरान्त समिति इस पर निर्णय लेगी।

इस संदर्भ में विभाग ने अतिरिक्त सूचना द्वारा सूचित किया है कि उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या इण्ड-डैव-एफ (16) ऑडिट/2018-785, दिनांक 14.12.2018 व स्मरण पत्र संख्या इण्ड-डैव-एफ (16) ऑडिट/2018-1791, दिनांक 11.02.2019 द्वारा हिमाचल प्रदेश

औद्योगिक विकास निगम को वर्ष 2015-18 के दौरान विभाग द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों पर एजेंसी शुल्क मु0 2.13 करोड़ रू0 के अधिक भुगतान की वापसी बारे निवेदन किया गया था। मामला निदेशक मण्डल की (BOD) की मीटिंग दिनांक 15.05.2020 तथा 16.10.2020 में भी रखा गया था। परन्तु अब हिमाचल प्रदेश ओद्योगिक विकास निगम द्वारा सूचित किया गया है कि उनके लिए निम्नलिखित कारणों से यह राशि वापिस करना प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सम्भव नहीं है:-

1. निगम ने वित्त वर्ष 2018-19 तक वैधानिक देय राशि का भुगतान आयकर विभाग, बिक्री कर विभाग व अन्य को पहले ही कर दिया है। इसके अतिरिक्त पिछले वार्षिक खाते वर्ष 2018-19 तक अनुपालित किए जा चुके हैं तथा विधिवत प्रमाणित एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों और CAG लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए जा चुके हैं।
2. इन पिछले वर्षों में (वित्त वर्ष 2017-18 तक) निगम द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ, निगम ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी लाभांश का विधिवत भुगतान किया है। निगम ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को लाभांश के रूप में रू0 4.62 करोड़ का भुगतान किया है।
3. निगम का यह मामला न केवल निदेशक उद्योग से संबंधित है, बल्कि वित्त वर्ष 2017-18 तक अन्य सभी विभागों के साथ समानता पर काम किया था और यदि उद्योग विभाग को रिफंड दिया जाता है तो निगम को भारी वित्तीय दायित्व वहन करेगा और अन्य विभाग भी उसी सादृश्य पर धन वापसी का दावा करना शुरू कर देंगे।
4. उद्योग विभाग एक सरकारी विभाग और निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए राशि को एक सरकारी विभाग से दूसरी सरकारी पीएसयू हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित मानकर इस मामले को सुलझाया जा सकता है।
5. निगम के सभी लेखापरीक्षित तुलन पत्र वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक हिमाचल प्रदेश की विधान सभा और सी0ए0जी0 के समक्ष पहले ही पेश किए जा चुके हैं।

इसलिए निगम द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस मामले में निगम पर भारी वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ कानूनी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए निगम के लिए वित्त वर्ष 2013-17 से 2017-18 के खातों को फिर खोलना संभव नहीं है।

टिप्पणी

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

पैरा संख्या: 3.8 बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण हानि

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान जानना चाहा कि समझौता ज्ञापन को रद्द करने के कारण तथा मु0 1.67 करोड़ रुपये की राशि की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए के प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने अवगत करवाया कि एक्चुअली इस मामले में M/s India Cement Limited को चौपाल में सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए 2006 में एल0ओ0आई0 दिया गया था और 2 करोड़ रुपये की Bank Guarantee (BG) ली गई थी। किन्तु ये लगातार स्टेट गवर्नमैंट और पी0डब्ल्यू0डी0 से पत्राचार करते रहे कि जो सड़क पांवटा से चौपाल की तरफ आती है उसकी वाइडनिंग के बिना प्रोजैक्ट को किसी भी तरीके से कमिशन करवाना सम्भव नहीं है। विभाग भी इनसे लगातार सम्पर्क में था और उसके रिव्यू के लिए समय-समय पर मामला कैबिनेट में गया। कई बार कहा गया कि आप बी0जी0 को रिन्यू करवाएं और अंत: परेशान होकर क्योंकि प्रोग्रैस प्राप्त नहीं हो

रही थी तो सरकार ने सीमेंट प्लांट लगाने के एम0ओ0यू0 को कैंसल कर दिया। इनकी यह प्ली थी कि रोड पहले वाइडन होना चाहिए उसके बाद प्रोग्रैस करेंगे। बात इनकी भी ठीक थी क्योंकि सीमेंट प्लांट के लिए रोड़ महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन्होंने पी0डब्ल्यू0डी0 से पुलों व सड़कों को चौड़ा व स्ट्रैंथन करने के लिए एस्टीमेट मांगा और उनको कुछ पैसे दिए। लगभग 1.67 करोड़ रुपया पी0डब्ल्यू0डी0 में जमा करवा कर कुछ पाट्र्स पर रोड वाइडन हुआ। किन्तु इन्होंने बी0जी0 रिन्यू नहीं की क्योंकि ये कहते हैं कि अब यह काम इम्प्लीमैंट करने की स्थिति में नहीं लगता है क्योंकि पूरे-का-पूरा रोड़ वाइडन नहीं किया। बाद में वर्ष 2017 में सरकार ने इस एम0ओ0यू0 को कैंसल ही कर दिया। किन्तु इन्होंने जो 1.67 करोड़ रुपया पी0डब्ल्यू0डी0 में डिपोजिट किया था, उसमें रोड़ और ब्रिजिज जहां तक सम्भव था उनकी वाइडनिंग व स्ट्रैंथनिंग हुई। अब यह मामला इसी स्थिति में है। 2 करोड़ रुपये की बी0जी0 इन्होंने रिन्यू नहीं करवाई क्योंकि उनको यह एतराज था कि स्टेट गवर्नमैंट काम नहीं कर रही जो इनको करना चाहिए। लेकिन 1.67 करोड़ रुपया पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से कम्पनी का सड़कों पर लग चुका है। इस पर समिति ने कहा है कि ठीक है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट के इंट्रस्ट को सेफगार्ड करने के लिए विभाग को बैंक गांरटी रिन्यू करवानी चाहिए थी। मुख्य मुद्दा यही है। विभाग का ही कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी के प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने अवगत करवाया कि विभाग इनसे लगातार फोलो अप करता रहा, पता नहीं कितने कम्युनिकेशन किये गए और कहा गया कि आप बी0जी0 को रिन्यू करो। Because they were saying कि आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, जब रोड़ की वाइडनिंग नहीं हो रही तो हम किस उम्मीद पर प्रोजैक्ट को लगाएं। इस पर समिति का कंसर्न बैंक गारंटी को लेकर है, उसे रिन्यू करवाना चाहिए था। अगर बैंक गारंटी रिन्यू नहीं करवाई थी तो एम0ओ0यू0 को उसी वक्त कैंसल कर देना चाहिए था। विभाग कम्पनी से नैगोशियेट भी कर रहे हैं और वे बैंक गारंटी भी नहीं दे रहे तो एम0ओ0यू0 उसी वक्त कैंसल कर देना चाहिए था के प्रत्युत्तर में विभाग ने बताया कि उनको बैंक गारंटी को रिन्यू करने के लिए बोला गया था लेकिन 2015 में माइन्ज़ एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट अमैंड हो गया था तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। इसलिए विभाग का प्रयत्न था कि इसी रूप में इसको आगे बढ़ाएं। कम्पनी की तरफ से ऑब्जैक्शन था कि सड़क नहीं है। पहले सड़क बड़ी खराब थी लेकिन अब इसकी काफी अच्छी स्थिति है। इसमें उनका भी प्रेडिकामैंट था और विभाग चाह रहा था कि यह कैंसल न करना पड़े क्योंकि बिडिंग में जाना पड़ेगा और बड़ा जटिल प्रोसैस हो जाएगा। लेकिन अंतत: इस एम0ओ0यू0 को कैंसल ही करना पड़ा के संदर्भ में समिति ने कहा कि

The Committee has invariably seen that the Government Departments don't press the party for BG. ऑडिट का सिर्फ यही कहना रहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो विभाग एम0ओ0यू0 कैंसल करता and carry on with new BG इस संदर्भ में विभागीय सचिव ने बताया कि समिति का कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग था। बी0जी0 का परपज यह होता था कि जो आपने एम0ओ0यू0 में माइलस्टोन तय किये होते थे, वे पार्टी को अचीव करने होते थे। पार्टी को उसके लिए बी0जी0 देनी होती थी कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम बैंक गारंटी को जब्त कर देंगे। माइलस्टोन को समय-समय पर विभाग रिव्यू तो करता था लेकिन उनका हमेशा यह ग्रज था कि विभाग ने रोड़ की वाइडनिंग का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। विभाग एम0ओ0यू0 को जल्दी कैंसल नहीं कर सकता था क्योंकि एक्ट में अमैंडमैंट की वजह से बाधा आ गई थी। विभाग ने इस मामले में काफी प्रयत्न तो किया लेकिन अब यह मामला ऑक्शन में जाएगा। इस संबंध में समिति ने विभाग को निर्देश दिए कि जितने भी प्लॉट्स लीज बेसिस पर दे रखे हैं उन सबका स्टेटस मंगवाएं कि वे कब कहां दिए थे, क्या वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट लगा भी है या वैसे ही लीज चल रही है? इस बात को एंश्योर किया जाए कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एलॉट किये जाएं उन पर समय पर उद्योग स्थापित हो तथा उत्पादन आरम्भ हो ताकि लैंड का सदुपयोग हो एवं लोगों को

रोज़गार मिले। जिसको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एलॉट करते हैं, एग्रीमैंट में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि आप इतने समय में उद्योग लगाकर प्रोडक्शन अवश्य स्टार्ट करेंगे और अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको सरकार को इतनी राशि देनी पड़ेगी। जो एलॉटी समय पर उद्योग स्थापित नहीं करते हैं उनको आबंटित प्लॉटों को शीघ्रातिशीघ्र रिज्यूम करके किसी अन्य उद्यमी को पुन: एलॉट किया जाना चाहिए ताकि वहां पर उद्योग स्थापित हों, बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध हो तथा हिमाचल प्रदेश का इंट्रस्ट सुरक्षित रखा जा सके। इस संदर्भ में कोई अच्छी पॉलिसी आनी चाहिए।

Memorandum of Understanding (MOU) की धारा 3 के अनुसार कम्पनी ने मु0 2.00 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी जो कि MOU के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु धरोहर राशि जमा करवाई थी।

शुरूआत में यह बैंक गारंटी दिनांक 29.05.2007 तक वैद्य थी जिसको बाद में कम्पनी द्वारा अलग-अलग समय के अन्तराल में दिनांक 31.03.2012 तक विस्तार (Extend) किया गया था।

हिमाचल प्रदेश द्वारा MOU की वैद्यता समय-समय पर अन्तिम बार दिनांक 31.05.2014 तक बढ़ाई गई थी।

इस कार्यालय द्वारा कम्पनी से बैंक गारंटी के नवीनीकरण हेतु पत्र दिनांक 07.04.2012, 26.12.2012, 05.03.2014, 05.08.2014, 27.12.2014 व 15.05.2015 के द्वारा बार-बार आग्रह किया गया था परन्तु कम्पनी द्वारा उक्त बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं किया गया।

बैंक गारंटी के नवीनीकरण का मामला सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक, चेन्नई से भी इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.08.2014, 27.12.2014 व 31.07.2018 के द्वारा उठाया गया था परन्तु बैंक से इस संदर्भ में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 30.05.2015 द्वारा सूचित किया कि उसने लगभग 5.00 करोड़ रू0 से अधिक की राशि इस परियोजना की डी0पी0आर/टी0ई0एफ0आर की तैयार करने, साइट का चयन व अनुमोदन, विद्युत लाईनों के लिए सर्वेक्षण, प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र का पूर्वेक्षण, पर्यावरण अध्ययन इत्यादि गतिविधियों के लिए खर्च की जा चुकी है लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कम्पनी इस परियोजना की स्थापना/कार्यान्वयन के लिए कोई और कदम उठाने में असमर्थ हैं इसलिए प्रस्ताव को वापस ले लिया है।

यह मामला प्रस्तावित बड़े सीमेंट संयंत्रों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित Monitoring/Interdisciplinary Committee की दिनांक 04.08.2015 को तत्कालीन मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखा गया था जिसमें यह पाया गया कि उक्त कम्पनी प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए गंभीर नहीं है, जो कि कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों में की गई कम प्रगति से स्पष्ट है व कम्पनी द्वारा मु0 2.00 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी को भी अप्रैल, 2012 से नवीनीकरण नहीं किया गया है। अत: समझौता ज्ञापन को रद्द करने व कम्पनी द्वारा HPPWD के पास मु0 1.67 करोड़ रू0 की राशि, जोकि LPRR सड़क (Paonta-Gumma stretch) को चौड़ा करने के लिए जमा करवाई गई थी, (यह सड़क बाद में नेशनल हाईवे घोषित की गई थी व इसका कार्य NHAI द्वारा ले लिया गया था) को जब्त करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था।

तदानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या: Ind.-A(F)19-2/2013-II दिनांक 11.05.2017 के द्वारा कम्पनी के साथ हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने व HPPWD के पास जमा मु0 1.67 करोड़ रू0 की राशि को जब्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मु0 1.67 करोड़ की राशि को जब्त करने का मामला प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से पत्र दिनांक 20.09.2018 द्वारा HPPWD से उठाया गया था।

Engineer-in-Chief HPPWD ने उनके पत्र संख्या: PW/CTR/29/41-39-39/2017-23584-85 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा सूचित किया गया कि श्रीयुत इण्डिया सीमेंट लिमिटेड द्वारा मु0 1.67 करोड़ रू0 की राशि जिस कार्य के लिए जमा करवाई गई थी उस राशि को उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा चुका है। अत: उक्त राशि को जब्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सिफारिश

समिति निर्देश देती है कि भविष्य में विभाग द्वारा जितने प्लॉटस लीज बेसिस पर दिए गए/दिए जाने हैं वहां पर इण्डस्ट्रियल यूनिट लगाना सुनिश्चित करें व विभाग इस बात को भी आश्वस्त करें कि जो इण्डस्ट्रियल प्लॉटस एलॉट किए गए हैं उन पर उद्योग स्थापित हो, भूमि का दुरूपयोग न हो, यदि समय रहते इण्डस्ट्रियल यूनिट नहीं स्थापित करते तो उन पर शास्ति(Penalty) का प्रावधान करें/पॉलिसी बनाएं। विभाग समिति को यह भी बताएं कि कब-कब प्लॉटस लीज पर दिए गए और कहां-कहां पर तथा उद्योग स्थापना उपरान्त बेरोजगारों को रोजगार मिले इस बात को भी सुनिश्चित करें।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्या: 1.1.2 कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

पैरा संख्या: 1.1.3 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर-कर राजस्व का विवरण बारे

पैरा संख्या: 1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण प्राप्तियों का विवरण

टिप्पणी

समिति ने विभागीय उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

****